③

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः– श्री एस0 एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक अपील 1585–दो / 2014 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 20–03–2014 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 04 / अपील / 2012–2013.

....

1–रामसखा चमार
2–छोटेलाल चमार
3–लालमणि चमार
4–भरोसा चमार पुत्रगण गोपिया
5–लल्ला पुत्री गोपिया
निवासीगण ग्राम मौहार तहसील
रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0

––– आवेदकगण

विरूद्ध

ददनिया तनय विसरमा चमार
निवासी ग्राम मौहार तहसील
रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0

–––अनावेदक

....

श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री रामानुज सोंधिया, अभिभाषक, अनावेदक

....

आदेश

(आज दिनांक 15-12-17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह अपील न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–03–2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अन्तर्गत प्रस्तुत, **आवेदक अधिवक्ता की त्रुटि से**

अपील भूलवश की गई है अतः यह निगरानी आवेदन मान कर मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत इसका आदेश किया जा रहा है।

2– प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि आवेदक गोपिया पिता विसरमा चमार निवासी मौहार द्वारा आराजी कमांक 11/6 रकबा 3. 135 व आराजी कमांक् 939 रकवा 0. 073 है0 कुल किता 2 रकवा 3.208 है0 के बटवारा नामांतरण हेतु म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 178/109, 110 के तहत आवेदन प्रत्र न्यायालय अधीक्षक भू–अभिलेख (भू–प्रबंधन) सतना को प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा दिनांक 9.11.09 को फर्द पुल्ली अनुसार आपसी बटवारा स्वीकार किया गया। इससे दुखित होकर गोपिया द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सतना के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 5.9.12 को अधीक्षक भू–अभिलेख (भू–प्रबंधन) सतना का आदेश दिनांक 9.11.09 निरस्त कर अपील स्वीकार की गई, इससे दुखित होकर द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में ददनिया द्वारा की गई जो उनके द्वारा दिनांक 20.03.14 स्वीकार की गई, इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि आवेदक के पिता गोपिया को बादग्रस्त आराजी शासन से आवंटन पटट्रा संबत 2017–18 में प्राप्त हुआ था जिसका व्यवस्थापन भी आवेदकगण के पिता गोपिया के नाम दिनांक 30.3.63 को हो गया तब से लगातार आवेदकगण के पिता गोपिया का कब्जा दखल स्वत्व अधिपत्य व राजस्व रिकार्ड चला आ रहा है, तथा आवेदकगण के पिता की मृत्यु के बाद आवेदकगण का स्वत्व आधिपत्य कब्जा दखल है जिसमें अनावेदक को कोई हक हिस्सा नहीं है। इसके बावजूद भी अनावेदक के द्वारा भू–अधीक्षक भू–अभिलेख सतना के न्यायालय में संहिता की धारा 178 के तहत फर्जी बटवारा का आवेदन दिया गया जिस पर दिनांक 9.11.09 को विचारण न्यायालय अधीक्षक भू–अभिलेख (भू–प्रबंधन) सतना द्वारा बटवारा आदेश अनावेदक के पक्ष में पारित किया गया। अपर आयुक्त रीवा ने अपने आदेश के पैरा 5 में यह मुख्य बिवाद माना है कि उक्त भूमियां पैत्रिक या स्वअर्जित है। अनुविभागीय अधिकारी ने इन भूमियों के संबंध में सहखाते में होने के

कारण एवं हस्तहार का प्रकाशन न होने के कारण अधीक्षक भू–अभिलेख (भू–प्रबंधन) सतना का आदेश निरस्त किया गया। तहसील न्यायालय में गोपिया के द्वारा आवेदन देकर भूमि अपने भाई को आधा हिस्सा देने हेतु आवेदन दिया। जबकि लिखित तर्क के जरिये न्यायालय से निवेदन किया जा रहा है कि उपरोक्त बिवादित आराजियां आवेदकगण के पिता गोपिया को आवंटन में प्राप्त हुई है तथा आवेदकगण का कब्जा दखल है एवं उक्त अराजियां पैत्रिक नहीं है। जहां तक आवेदक के पिता गोपिया के द्वारा बटवारा आवेदन देने की बात कही गई है वह बिल्कुल गलत है। गोपिया के द्वारा कहीं कोई बटवारा का आवेदन या सहमति उसकी जानकारी में नहीं दी गई, क्यों कि गोपिया को बंटन में प्राप्त उक्त आराजी के पूर्व से ही अनावेदक हिस्सा बांट कर प्रथक होकर अपना अलग निवास करता था, जिससे भी बटवारा आवेदन प्रस्तुत करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है, तथा बिचारण न्यायालय में की गई बटवारा की कार्यवाही जो बटवारा नियमों के अनुसार इस्तहार का प्रकाशन नहीं कराया गया। संबंधित हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्द बटवारा पुल्ली में भी किसी के हस्ताक्षर अंगूठा नहीं लगवाये गये हैं। उक्त बिन्दुओं पर अपर आयुक्त रीवा द्वारा विचारण न्यायालय अधीक्षक भू–अभिलेख (भू–प्रबंधन) सतना की कार्यवाही को उचित मान कर विधि विरूद्व तरीके से अनुविभागीय अधिकारी सतना का आदेश निरस्त करने की कानूनी भूल की है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 20.3.14 निरस्त कर आवेदकगण की निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि उक्त भूमि माता पिता द्वारा संपूर्ण पैसा लगाकर प्राप्त की गई थी, तथा मृतक गोपिया अनावेदक के बड़े भाई थे, इसलिये कर्ताखानदान होने के कारण उक्त भूमि मृतक गोपिया के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराई गई थी। बाद में अर्सा 50 वर्ष पूर्व आपस में पारिवारिक बटवारा होने पर उक्त भूमियों का बटवारा करके 1/2– 1/2 हिस्से में आवेदकगण के पिता मृतक गोपिया तथा अनावेदक काबिज दाखिल हैं, किन्तु राजस्व अभिलेखों में आवेदकगण के पिता का ही नाम दर्ज रहता आया। आवेदकगण के पिता गोपिया ने कहा कि हमारे जीते जी तुम अपनी भूमि का बटवारा नामांतरण करवा लो तब पंचायत के समक्ष बयान देकर बटवारा सहमति

हस्ताक्षर किया और सहमति बटनवारा नामांतरण के आधार पर दोनों पक्ष अधीक्षक भू–अभिलेख (भू–प्रबंधन) सतना के समक्ष उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्रस्तुत किये थे। अधीक्षक भू–अभिलेख (भू–प्रबंधन) सतना द्वारा विहित प्रकिया के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर विधिवत इस्तहार का प्रकाशन किया गया, जिसमें मृतक गोपिया ने स्वयं अपना हस्ताक्षर/अंगूठा निशान बनाया था तथा फर्द बटवारा व कथन के उपरांत ही जरिये प्रकरण कमांक 104/अ–27/2008–09 आदेश दिनांक 9.11.09 को आदेश पारित किया गया था उक्त आदेश का विधिवत राजस्व अभिलेख में इस्तलायाबी दर्ज की जा चुकी है। उक्त संपूर्ण कार्यवाही विधि एवं प्रक्रिया के तहत मृतक गोपिया की सहमति से हुई थी किन्तु बाद में गोपिया के ऊपर उसके लड़के आवेदकगण दबाव डालकर झूठ का सहारा लेकर समय बाह्य अपील अनुविभागीय अधिकारी सतना के समक्ष प्रस्तुत कर विधि विरूद्व आदेश पारित करवा लिया। जबकि पक्षकारों की सहमति से फर्द बटवारा किया गया था, तथा सूचना पत्र के पृष्ठ भाग में मृतक गोपिया एवं गांव के अन्य गणमान्य नागरिकों को सूचना एवं प्रकाशन किया गया था किसी के द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति न होने पर ही गोपिया के बयान दिनांक 16.10.09 को तथा अनावेदक के कथन दिनांक 16.10.09 को साक्षी के कथन भी कराये गये हैं। उनके द्वारा यह भी लेख किया गया है कि मौहार ग्राम नक्शा विहीन ग्राम है, इस कारण बटवारा नामांतरण संबंधी समस्त प्रकरण तहसील न्यायालय द्वारा न किया जाकर केवल अधीक्षक भू–अभिलेख (भू–प्रबंधन) सतना के न्यायालय से की जाती है, इसलिये अधीक्षक भू–अभिलेख (भू–प्रबंधन) सतना को बटवारा नामांतरण किये जाने का अधिकार विशेष आदेश प्राप्त है। इस्ताहार का प्रकाशन विधिवत कराया गया है तथा हल्का पटवारी से बटवारा पुल्ली प्राप्त कर ही आदेश पारित किया गया था। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदकगण की निगरानी निरस्त किया जाकर अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखने का निवेदन किया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के लेखी बहस का अध्ययन किया गया तथा तर्को पर विचार किया गया। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अधीक्षक भू–अभिलेख (भू–प्रबंधन) सतना के प्रकरण में संलग्न पृष्ठ –5 पर फर्द बटवारे पर किसी भी खातेदार के सहमति के हस्ताक्षर नहीं है तथा पृष्ठ –7 पर संलग्न इस्तहार पर

गणमान्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर तो है लेकिन उसमें किसके द्वारा चौपाल पर या अधीक्षक भू–अभिलेख (भू–प्रबंधन) सतना के बोर्ड पर इस्तहार किस दिनांक को चस्पा किया भृत्य/चौकीदार/किसी भी कर्मचारी के हस्ताक्षर व दिनांक अंकित नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीक्षक भू–अभिलेख (भू–प्रबंधन) सतना द्वारा प्रथम नियम उद्घोषणा प्रकाशन का पालन नहीं किया गया जिसके आधार पर प्रकरण की समस्त अग्रिम कार्यवाही स्वमेव शून्यवत हो जाती है। अपर आयुक्त रीवा द्वारा इस ओर ध्यान आर्किषित नहीं किया गया है कि इस्तहार पर किसी भृत्य/चौकीदार के हस्ताक्षर एवं किस दिनांक को किस किस जगह इस्तहार चस्पा किया गया। इसके अलावा उनके द्वारा यह भी नहीं देखा गया है कि फर्द बटवारे पर किसी भी खातेदार के सहमति के हस्ताक्षर नहीं है। अपर आयुक्त रीवा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सतना का आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है। अतः अधीक्षक भू–अभिलेख (भू–प्रबंधन) सतना द्वारा पारित आदेश दिनांक 9.11.09 एवं अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.3.14 निरस्त किये जाने योग्य है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय अधीक्षक भू–अभिलेख (भू–प्रबंधन) सतना का प्रकरण कमांक 104/अ–27/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 9.11.09 एवं अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण कमांक 04/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 20.3.14 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं, तथा अनुविभागीय अधिकारी सतना का प्रकरण क्रमांक 29/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 5.9.2012 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर